न्यायालय - मोतिश कुमार सिंह, सत्र न्यायाधीश, सिवान।
फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या - **13/2026**

मुन्नी देवी उर्फ मुन्नी कुमारी
बनाम
बिहार सरकार

28-04-2026

आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। इनका कथन है कि विचारण संख्या 1183/2025 (मुन्नी देवी बनाम पंकज कुमार, आधारित परिवाद पत्र संख्या 1873/2007) वर्तमान में श्री अश्वनी कुमार राय, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, सिवान के यहॉ लंबित है। इस वाद में अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, षष्टम् के यहॉ आंशिक बहस संपन्न हो चुका है तथा वाद शेष बहस हेतु लंबित था, इसी बीच प्रशासनिक आदेश के अलोक में प्रस्तुत वाद श्री अश्वनी कुमार राय, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, सिवान के न्यायालय में हो गया। वाद की सूचिका निर्धन महिला है इसलिए इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और नए सिरे से पुनः वाद का बहस दूसरे न्यायालय में कराने में असमर्थ है। अतः अनुरोध है कि प्रस्तुत वाद को पुनः अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, षष्टम्, सिवान के न्यायालय में स्थानांतरित करने की कृपा की जाए।

इस फौजदारी प्रकीर्ण वाद के साथ विचारण न्यायालय के यहॉ से विचारण संख्या 1183/2025 (मुन्नी देवी बनाम पंकज कुमार, आधारित परिवाद पत्र संख्या 1873/2007) का मूल अभिलेख प्राप्त है। उक्त अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रस्तुत वाद में आंशिक बहस अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, षष्टम्, सिवान के न्यायालय में हो चुका है। **अत : परिस्थितियों पर विचार करते हुए विचारण संख्या 1183/2025 (मुन्नी देवी बनाम पंकज कुमार, आधारित परिवाद पत्र संख्या 1873/2007) को वापस लेकर अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, षष्टम्, सिवान के न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दिया जाता है।**

कार्यालय आदेश की प्रति दोनों विचारण न्यायालय में प्रेषित करें तथा विचारण न्यायालय के अभिलेख को संबंधित न्यायालय में वापस भेजें तथा इस अभिलेख को अभिलेखागार सिवान में जमा करें।

लेखापित
sd/-
सत्र न्यायाधीश, सिवान।
28-04-2026

Date of Judgement/order	28-04-2026
Date of Reserving Judgement/ Order	28-04-2026
Date of Uploading	29-04-2026
Uploaded by	Ajit kumar